सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 13/2018

**पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)**

किशनलाल पुत्र धन्नालाल जाति जाट निवासी उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थी

**बनाम**

1. रतनी देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश जाट
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र धन्नालाल जाट
   निवासीगण उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर
3. बद्रीलाल पिता जगन्नाथ
4. दुर्गा देवी पत्नि सुवालाल
5. बल्लू देवी पुत्री सुवालाल
6. बालमुकन्द पुत्र सुवालाल
7. आशाराम पुत्र सुवालाल
8. रामा पिता गंगाराम
9. मोडू पिता गंगाराम
10. मोहन पिता गगाराम
11. नन्दू पत्नि रूघनाथ
12. रामदयाल पुत्र रघुनाथ
13. सीताराम पुत्र रघुनाथ
    समस्त जाति दरोगा निवासीगण कोहडा तहसील केकडी जिला अजमेर राज.
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी  जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

**दिनांकः– 21.06.2018**

पत्रावली आज केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सरसडी में पेश हुई। प्रार्थीया उपस्थित। वादी/प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम उगाई तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता नम्बर 24 के खसरा नम्बर 1053,1057 रकबा क्रमशः 6.59, 0.07 है. भूमि जो प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात है। उक्त आराजीयात में आने जाने का एकमात्र  पुराना रास्ता जो करीब 20फीट चौडा है जो खसरानम्बर 1061 रकबा 0.70 है. व खसरा नम्बर 1060 रकबा 4.53 हे. में स्थित है तथा उक्त आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 के नाम दर्ज खातेदार है । अप्रार्थीगण 1लगायत 13 उक्त रास्ते में से प्रार्थी को आने जाने में कृषि यंत्र , कृषि उपज एंव पशुओ को लाने ले जाने में बाधा उत्पन्न करते है। जिस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 13 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1060 व 1061 में से रास्ता दिलवाने का निवेदन किया है।

हमने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। पत्रावली केम्प कोर्ट सरसडी में पेश के दौरान वादी/अप्रार्थीगण उप.। पत्रावली में तहसीलदार केकडी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई । उक्त मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया । रिपोर्ट

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्री किशनलाल ने अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 1053, 1057 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1061 व 1060 मेंसे रास्ता चाहा है। वर्तमान में प्रार्थी किशनलाल खसरा नम्बर 1060 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे खसरा नम्बर 1060 व 1061 व 1058 में से आता जाता है। प्रार्थी के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी के खेत से निकटतम दूरी से सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 1110 है। प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु कटानी रास्ता खसर नम्बर 1110 से लघुत्तम रास्ता खसरा नम्बर 1060 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 1110 से पश्चिम से पूर्व दिशा में है जिसकी लम्बाई 94 मीटर व चौडाई 6 मीटर का रास्ता देने पर 0.0564 है. क्षैत्रफल बनता है।

हमने उक्त जांच रिपोर्ट एंव पत्रावली का मनन किया । अतः प्रस्तुत तहसीलदार की मौका रिपोर्ट अनसुार प्रार्थी प्र्ार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्त.अधि.का स्वीकार किया तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थनापत्र वर्णित खसरा नम्बर 1053, 1057 में आने जाने हेतु ग्राम उगाई के जमाबन्दी स. 2072–75 के खाता स. 92 के खसरा नम्बर 1060 रकबा 4.53 हैक्ट. में से 94 x 6 = 564 वर्ग मी. (0.0564है.) क्षेत्रफल का रास्ते हेतु वर्तमान पंजीयन दर से रास्ते हेतु बनने वाली राशि की दुगनी राशि प्रार्थी द्वारा जमा राजकोष या भुगतान किये जाने पर वर्तमान राजस्व मानचित्र में तरमीम की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय हाजा को पालना से अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी